

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली / 2011-12 / 161

दिनांक : 8-12-11


कार्यालय आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प.3(25)नविवि/3/06 दिनांक 25.01.2010, 03.05.2010, 13.04.2011, 18.08.2011 एवं 31.10.2011 के द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग, अल्प आयवर्ग एवं मध्यम आयवर्ग के मकानों पर मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने के कारण दिनांक 31.03.2010 तक आवेदन करने वाले आवंटियों को ब्याज राशि एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई थी, को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(25)नविवि/3/06 दिनांक 09.11.2011 के द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवंटियों को भी छूट प्रदान की स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि 31.03.2012 तक आवेदन प्राप्त कर सभी प्रकरणों का निस्तारण दिनांक 30.04.2012 तक आवश्यक रूप से कर लिया जावे।

उपरोक्त छूट का लाभ नियमितीकरण प्रकरणों पर भी देय होगा।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।



(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर *per m*
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल,
9. लेखाधिकारी वसूली./सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

13 ACP A.H.B. Suna



वित्तीय सलाहकार